रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 1073] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2004/अग्रहायण 24, 1926

No. 1073] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2004/AGRAHAYANA 24, 1926

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2004

**का.आ. 1373(अ).**—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ओचिक नेशनल वालिंटियर कौंसिल और हिन्यूट्रेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल ऑफ मेघालय को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में एक ''विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण'' का गठन करती है।

[फा. सं.11011/47/2004-एन. ई.-III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2004

**S.O. 1373(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting Justice Shri Swatanter Kumar, Judge of Delhi High Court for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Achik National Volunteer Council and Hynniewtrep National Liberation Council of Meghalaya as Unlawful Associations.

[F. No. 11011/47/2004-NE-III]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

3729 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.